वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2000

सा.का.नि. 272:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (ज्येष्ठ लेखाकार) भर्ती नियम 1988 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (ज्येष्ठ लेखाकार) भर्ती (संशोधन) नियम 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (ज्येष्ठ लेखाकार) भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ लेखाकार	11822* (2000)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ग (अराजपत्रित) अनुसचिवीय	5000-150-8000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती का तरीका, क्या सीधी भर्ती है अथवा पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन के जरिए और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	अगर भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा हुई है तो वह ग्रेड जिससे पदोन्नति प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
11	12
पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा	पदोन्नति : वे लेखाकार जिन्होंने लेखाकारों के लिये विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। नोट—1. जहां कनिष्ठों ने अर्हक/योग्य सेवा पूरी कर ली है और जिनके नाम पर पदोन्नति के लिये विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जा सकता है बशर्ते उनकी सेवावधि वांछित अर्हता/योग्यता वाली सेवा की आधी या दो वर्ष, इसमें से जो भी कमतर हो, से अधिक कम न हो और अगर निर्धारित हो तो उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो। 2. चूंकि वरिष्ठ लेखाकारों और लेखाकारों के फीडर कैडर का संवर्ग पूरे विभाग के लिये केन्द्रीकृत नहीं है, अतः विभाग के अनेक फील्ड कार्यालयों में हरेक संवर्ग के लिये यह नियम लागू है। प्रोन्नति के लिये वांछित सेवावधि का निर्धारण संबंधित फील्ड कार्यालय में होगा।

प्रतिनियुक्ति :

(i) वरिष्ठ लेखाकार/वरिष्ठ लेखा परीक्षक, या

(ii) वे लेखाकार/लेखा परीक्षक, जिन्होंने लेखाकारों/लेखा परीक्षकों की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है और जिन्होंने भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभागों में दूसरे फील्ड कार्यालयों में ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवावधि पूरी कर ली है :—

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, किसी अन्य संवर्ग पदों पर केन्द्रीय सरकार के इसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले की अवधि समेत सामान्यतया तीन साल से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 साल से अधिक नहीं होगी)

द विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
13	14
भागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे : ज्येष्ठ उप-महालेखाकार/उपमहालेखाकार या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी जो प्रशासन समूह का भारसाधक हो। कोई अन्य ज्येष्ठ उपमहालेखाकार या उपमहालेखाकार या समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी (जो उस कार्यालय से भिन्न कार्यालय का हो, जिसमें प्रोन्नति के संबंध में विचार किया जा रहा है।) एक ज्येष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी। प्पण :—ऊपर (1) और (2) में से ज्येष्ठ अधिकारी अध्यक्ष होगा।	लागू नहीं होता

द टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II खंड 3 उपखंड (i) तारीख 30-07-98 के पृष्ठ 2328-31 पर सा.का.नि. 617 तारीख 14-07-98 द्वारा प्रकाशित किये गए थे।

[फा. सं. ए.-12018/1/99ई.जी.]

बी. कुमार, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 5th July, 2000

G.S.R. 272.—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Audit and Accounts Department (Senior Accountant) Recruitment Rules, 1988, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Senior Accountant) Recruitment (Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Audit and Accounts Department (Senior Accountant) Recruitment Rules, 1988 for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

Name of Post	No. of post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection-cum-seniority or Selection by merit or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.
1	2	3	4	5	6
Senior Accountant	11822* (2000)	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted), Ministerial.	Rs. 5000-150-8000.	Non-selection	Not applicable

*Subject to variation depending on workload

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
By promotion, failing which by deputation	Promotion : Accountants who have passed Departmental Examination for Accountants and rendered three years regular service in the grade.
	Note : 1. Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period, if prescribed.

2. As the cadre of Senior Accountant and feeder cadre of Accountant are not centralised for entire Department, the rules are applicable to each cadre in the various field offices of the Department. The requisite period of service prescribed for promotion shall be in the field office concerned.

Deputation:

(i) Senior Accountants/Senior Auditors; or

(ii) Accountants/Auditors who have passed Departmental Examination for Accountants/Auditors and rendered three years regular service in grade from other field offices in the Indian Audit and Accounts Department:—

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years on the closing date of receipt of application.)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumtances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments
13	14
Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Senior Deputy Accountant General/Deputy Accountant General or an office of equivalent rank in-charge of administration group. 2. Another Senior Deputy Accountant General/Deputy Accountant General or an office of equivalent rank (from an office other than the office in which promotions are considered). 3. One Senior Accounts Officer/Accounts Officer. Note:—The senior amongst (1) and (2) above shall be the Chairman.	Not applicable

[F.No. A-12018/1/99-EG]

B. KUMAR, Dy. Secy.

Foot Note : (1) The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 30-7-98 vide GSR-617 dated 14-7-1988 at pages-2328—31.